फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर जैतारण (जिला –ब्यावर)

प्रार्थी :– सीतादेवी पत्नी हुकमाराम वगैरह **बनाम** अप्रार्थी :– हुकमाराम पुत्र पेमाराम वगैरह

किस्म मुकदमा :– राजस्व प्रार्थना पत्र मु.न. 196/सन 2024

ख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
2024	वकील प्रार्थीगण उपस्थित। वकील प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्ध अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 आर टी एक्ट 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीगण के ससुर व दादा पेमाराम पुत्र गोपूराम की पैतृक पुश्तेनी सामलाती खातेदारी कृषि भूमि सरहद मौजा कुडकी पटवार हल्का कुड़की तहसील जैतारण में स्थित खसरा नम्बर 669 रकबा 2.0558 हैक्टर भूमि आई हुई हैं। वर्णित आराजी प्रार्थीगण के पति / पिता हुकमाराम पुत्र पेमाराम अप्रार्थी सं. 01 की स्वअर्जित सम्पति नही होकर उनकी पैतृक पुश्तेनी कृषि भूमि हैं जो पूर्व में पेमाराम पुत्र गोपूराम व उससे पूर्व गोपूराम पुत्र जयराम के नाम से थी तथा उनके फौत होने हुकमाराम के नाम बतौर वारिसान के दर्ज हुई। प्रार्थी सं. 01 अप्रार्थी की पत्नी हैं तथा 02 से 04 पुत्र पुत्रीया हैं। वर्णित आराजी में प्रार्थीगण का बाई बर्थ जन्मतः हक अधिकार निहित हैं। अप्रार्थी सं. 01 आदतन शराबी व झगड़ालु प्रवृति का व्यक्ति हैं जो अप्रार्थी सं. 03 की सिखावट में आकर उधार रूपये मांग कर वर्णित आराजी को बैचान हस्तान्तरण करने पर आमदा हैं। बिना रूपयो की जायज जरूरत के बैचान करने पर उतारू हैं। यदि वर्णित आराजी का बैचान हस्तान्तरण कर देता है तो प्रार्थीगण के भरण पोषण का जरिये खत्म हो जायेगा। प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि पर प्रार्थी काश्त मुतालिक कुल कार्य करे तो बेदखल एवं किसी प्रकार से बाधा अड़चन रोकटोक नही करे व दखलदांजी नही करें, रहंन बैचान हस्तान्तरण बक्सीस नही करें, रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने की ईस्तदुआं की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र, एवं दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अध्ययन कर बहस अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थीगण पर गौर कर मनन किया गया। विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया गया, अतः आगामी तारीख पेशी तक प्रा. पत्र में वर्णित भूमि के (अप्रार्थीगण के हिस्से तक) रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाना उचित समझते हैं। अतः अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी एवं विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की जाती हैं कि सरहद मौजा कुड़की पटवार हल्का कुड़की तहसील जैतारण मे स्थित खसरा नम्बर 669 रकबा 2.0558 हैक्टर भूमि आई हुई हैं। आगामी तारीख पेशी तक प्रा. पत्र में वर्णित भूमि के (अप्रार्थीगण के हिस्से तक) रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता हैं। वकील प्रार्थी आदेश 39 नियम 3 सीपीसी की पालना में तलबाना / नोटिसेज तीन दिवस में पेश करें। तलबाना पेश होने पर अप्रार्थी को जरिये नोटिसेज सूचित हो कि वह वजह जाहिर करें कि क्यों नहीं उक्त आदेश को वाद निर्णय तक पुख्ता किया जावें। पत्रावली आयन्दा दिनांक 08.10.2024 वास्ते जबाब प्रा0प0 पेश हो। 12.9.24 सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी जैतारण (ब्यावर)	
8/10/24	मूल वाद के पत्रावली तलब कर वाद खारिज करने का प्रा. पत्र पेश करते कि पक्षा. आज पेश हुये। पत्रावली का अवलोकन किया गया। चूंकि मूल वाद आज खारिज के चुका है। मूल वाद खारिज होने के बाद से अन्तरिम प्रा. पत्र के कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रहते अर्थात् प्रभावहीन हो जाते है प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पक्षा. केवल शुल्क पेश करने के कम को बाद तहसील कार्यालय दाखिल दफ्तर रोकड़ किया जाता है।	सीतादेवी उपखण्ड अधिकारी जैतारण उपखण्ड अधिकारी जैतारण